

## FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 22 /2016

Md. Nayeemuddin.....Petitioner

Versus

The State of Bihar .....Opposite Party

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	23-02-24	<p align="center"><b>—:आदेश:—</b></p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्ता, अररिया द्वारा अपील वाद सं0-14/2015-16 में दिनांक- 29.01.16 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता अनुपस्थित। राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी की उपस्थिति अनियमित है। जिस कारण दिनांक-16.8.2023 को उपस्थित होने हेतु उन्हें अंतिम मौका दिया गया। पुनःश्च दिनांक-13.10.23 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दिनांक-02.02.24 को भी आवेदक के अनुपस्थित रहने पर उन्हें उपस्थित होने हेतु एक और अंतिम मौका प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति हेतु निबंधित डाक से सूचना निर्गत किया गया। बावजूद सुनवाई के दौरान आवेदक अनुपस्थित रहे। आवेदक के लगातार अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट है कि उन्हें वाद के निष्पादन में कोई अभिरुचि नहीं रह गई। फलतः वाद को अनावश्यक रूप से लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः आवेदक द्वारा वाद के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लिये जाने के आधार पर प्रस्तुत वाद को “प्रमाद में खारिज” (Dismissed for default) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालाय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं सशोधित</p> <p align="center">आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> <p align="center">आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिया।</p>	